रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/14164/सातवाँ के॰ वे॰ आ॰/परिपत्र/जिल्द-I दिनांक 30.10.2017

No. AN/XIV/14164/VIIth CPC/Circular/VoI-I

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : वर्दी भत्ते के सम्बंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यांवयन के सम्बंध में।

Sub: Implementation of the recommendation of the Seventh Central Pay Commission on Dress Allowance-regarding.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 1 सितम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 14/4/2015-जेसीए-2, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रसारित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & pensions, Department of Personnel & training Office Memorandum No. 14/4/2015-JCA 2 dated 31st August, 2017 on the above subject, which is available on the website of DoP&T, is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

संलग्नक: यथोपरि

कविता

(कविता गर्ग)
रक्षा लेखा व॰ उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4।
2. लेखा परीक्षा – 1, 2 (स्थानीय)।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु॰) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

(कविता गर्ग)
रक्षा लेखा व॰ उप महानियंत्रक

फा. सं. 14/4/2015-जेसीए-2

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 1 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : वर्दी भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समूह 'ग' श्रेणी और पूर्ववर्ती 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें वर्दी प्रदान की जाती है और जिनके लिए उसे नियमित रूप से पहनना आवश्यक होता है, को वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) भत्ता इत्यादि की देयता के संबंध में मौजूदा आदेशों के अधिक्रमण करते हुए उन्हें 5000/- रु. प्रति वर्ष की दर से वर्दी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2. वर्दी भत्ता/धुलाई भत्ता/सिलाई प्रभार/जूता (शू) प्रभार इत्यादि को वर्दी भत्ते में शामिल कर दिया गया है।

3. जिन श्रेणी के कर्मचारियों को पहले किसी प्रकार की वर्दी प्रदान की जा रही थी उन्हें अब से वर्दी प्रदान नहीं की जाएगी।

4. वर्दी के रख-रखाव और इसकी धुलाई से संबंधित भत्ते, वर्दी भत्ते में शामिल कर दिए गए हैं और अलग से इनका भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. वर्दी भत्ते की राशि वर्ष मे एक बार जुलाई माह में कर्मचारियों के वेतन में जोड़ दी जाएगी।

6. जैसा कि ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित है, वर्दी भत्ते की दर 5000/- रु. प्रति वर्ष होगी। जब महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि होगी तब वर्दी भत्ते की दर में हर बार 25% की वृद्धि हो जाएगी।

7. इस भत्ते में कर्मचारियों की मूल वर्दी ही शामिल है। अन्य विशेष वस्त्र संबंधित मंत्रालय द्वारा मौजूदा मापदंडों के अनुसार प्रदान किए जाते रहेंगे।

8. यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

डी. के. सेनगुप्ता

(डी. के. सेनगुप्ता)

उप सचिव (जेसीए)

दूरभाष : 23092982

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

F. No. 14/4/2015-JCA 2
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)
Establishment (JCA-2) Section

North Block, New Delhi
Dated: August 31, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of recommendation of the Seventh Central Pay Commission on Dress Allowance – regarding.

The undersigned is directed to state that in pursuance of the decisions taken by the Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission, and in supersession of the existing orders relating to admissibility of Uniform Allowance/ Washing allowance/ Stitching Charges /Shoe allowance, etc to common categories of Group 'C' and erstwhile Group 'D' employees of various Ministries/Departments, including attached/ subordinate offices, who are supplied uniform and are required to wear them regularly, they shall be paid Dress Allowance at the rate of Rs. 5000/- per year.

2. The Uniform Allowance/Washing Allowance/Stitching Charges/Shoe Allowance, etc. have been subsumed in Dress Allowance.

3. The categories of Staff who were earlier being provided uniforms if any, shall henceforth not be provided with uniform.

4. Allowance related to maintenance and washing of uniform is subsumed under Dress Allowance, and will not be payable separately.

5. The amount of Dress Allowance shall be credited to the salary of employees directly once a year in the month of July.

6. The rate of Dress Allowance shall be, as mentioned in para-1 above, Rs.5000/- per year. The rate of Dress Allowance shall go up by 25% every time the Dearness Allowance rises by 50%.

7. This allowance covers only the basic uniform of the employees. Any special clothing will continue to be provided by the concerned Ministry as per existing norms.

8. This order shall take effect from 1st July, 2017.

Hindi version will follow.

(D.K. Sengupta)
Deputy Secretary (JCA)
Tel. No. 2309 2982

To

All Ministries/Departments of the Government of India